अध्याय – 13
अधोसंरचना और सेवा प्रदाय

13.1 नागरिकों को मूलभूत सेवायें प्रदान करना शहरी क्षेत्र के निकायों का प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य के इन निकायों द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं परन्तु अलग–अलग स्थानों में निकायों के सेवा प्रदाय के स्तर में बहुत अन्तर है। इसी अन्तर को ध्यान में रखते हुए 13वें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्य के सभी नगर निगम और नगर पालिका परिषद राज्य के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके यह बतायें कि आलोच्य वर्ष के दौरान सेवाप्रदाय की क्या स्थिति थी और अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन पांच मूलभूत सेवा क्षेत्रों में क्या स्तर प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है। ये पांच सेवा क्षेत्र हैं:– (i) जल आपूर्ति, (ii) मल निकासी (सिवरेज), (iii) शौचालय, (iv) गन्दे पानी की निकासी, और (v) ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन। इस अध्याय में उपर्युक्त क्षेत्रों में सेवाप्रदाय और तत्सम्बन्धी अधोसंरचना की वर्तमान स्थिति तथा साथ ही साथ सड़कों और मार्ग प्रकाश व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन सेवा क्षेत्रों के लिये आवश्यक संसाधनों का भी अनुमान लगाया गया है।

13.2 इन सेवाओं के संबंध में आंकड़े और विवरण तीन स्त्रोतों से एकत्रित किये गये हैं। ये स्त्रोत हैं– वर्ष 2011 का जनगणना प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी की गई सेवा बेंच मार्क संबंधी अधिसूचना, नगर पालिका प्रशासन संचालनालय तथा शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय। इनमें से प्रत्येक स्त्रोत की अपनी विशिष्टता के साथ सीमायें भी हैं। जनगणना 2011 के प्रतिवेदन में गैर नगरपालिका क्षेत्र सहित सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है। परन्तु यह केवल जल आपूर्ति, शौचालय तथा नाली निकासी तक ही सीमित है। जल आपूर्ति, मल निकासी (सिवरेज), शौचालय और जल निकासी (ड्रेनेज), ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सेवा बेंच मार्क विषयक अधिसूचना में राज्य के सभी 42 नगर निगम और नगर पालिकायें शामिल हैं परन्तु नगर पंचायतों को छोड़ दिया गया है। इसमें यह एक बड़ी खामी है। दूसरी खामी यह है कि सड़क तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था इसके क्षेत्र से बाहर हैं। अतएव इन सेवाओं के बारे में विवरण नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के

विवरण नगर विकास योजना (CDP) से लिये गये है। चूंकि ये आंकड़े अलग–अलग स्त्रोतों से एकत्रित किये गये हैं, अतः इनमें कुछ अंतर संभव है।

जल आपूर्ति

वर्ष 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य की 44.2% शहरी जनसंख्या को परिशोधित जल प्राप्त होता है और 18.2%जनसंख्या को अपने घरों में अपरिशोधित (Untreated) पानी मिलता है। शेष 37.5% जनसंख्या ट्यूबवेल, बोरवेल आदि पर निर्भर हैं। कुल शहरी जनसंख्या के 27.7% भाग को अपने आवास परिसर में परिशोधित जल मिलता है। 13.6% को समीपवर्ती क्षेत्र अर्थात् 100 मीटर के आसपास से पानी लाना पड़ता है जबकि 2.9% जनसंख्या को पानी लाने के लिये दूर जाना पड़ता है। इन सबका विवरण **तालिका संख्या 13.1** में दिया गया है। इस तालिका से स्पष्ट है कि लगभग 33 लाख अर्थात् 56% जनसंख्या असुरक्षित पानी पर निर्भर है। यद्यपि 18.2%जनसंख्या को अपने आवास परिसर में ही जल पूर्ति उपलब्ध है, परन्तु वह पानी शोधित नहीं है। अतः उससे दूषित जलजन्य बीमारियों हो सकती हैं। अलग–अलग नगरों में पेय जल की पहुंच की सीमा में अंतर हो सकता है, परन्तु चूंकि शहर/नगरवार विवरण उपलब्ध नहीं है अतः इसका विश्लेषण कठिन है।

तालिका संख्या 13.1

जल आपूर्ति

		छत्तीसगढ़	
		जनसंख्या	प्रतिशत
	कुल	26,22,990	44.21
शोधित जल	परिसर में	16,42,223	27.68
	परिसर के निकट	8,09,285	13.64
	परिसर से दूर	1,71,482	2.89
	कुल	10,82,593	18.25
अशोधित जल	परिसर में	4,26,114	7.18
	परिसर के निकट	5,46,429	9.21
	परिसर से दूर	1,10,050	1.85

	कुल	22,27,973	37.55
अन्य स्त्रोतों से	परिसर में	87,09,075	14.82
	परिसर के निकट	8,64,811	14.57
	परिसर से दूर	4,84,087	8.16

स्त्रोत, जनगणना प्रतिवेदन : 2011

13.3 सेवा स्तर बेंचमार्क विषयक राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र की 31.6% जनसंख्या को अपने आवास परिसर में जल आपूर्ति उपलब्ध है। नगर निगम क्षेत्र में यह 33.3% और नगर पालिका क्षेत्र में 30.4% है। नगर निकायों के मध्य इस संबंध में बहुत अंतर है। जल आपूर्ति व्यवस्था की सर्वाधिक 64.2% पहुंच जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में और सबसे कम 1% वीरगांव नगर पालिका क्षेत्र में है। ये आंकड़े जनगणना प्रतिवेदन में बताये गये 34% के आंकड़े के लगभग बराबर हैं। जनगणना प्रतिवेदन में बताया गया है कि 34% शहरी जनसंख्या को अपने आवास परिसर में नल से पानी मिलता है। सेवा स्तर बेंच मार्क अधिसूचना से नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में पेय जल की आपूर्ति के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें **तालिका संख्या 13.2** में देखा जा सकता है। इस तालिका से पता चलता है कि विभिन्न प्रमापकों में बेंच मार्क और नगर निकायों के कार्य निष्पादन में बहुत ज्यादा अंतर है। इससे सक्षम और दूरगम्य जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये समूचे कार्य निष्पादन को समग्रतः समुन्नत किये जाने की आवश्यकता को बल मिलता है। इस तालिका में बताया गया "वर्तमान स्तर" सभी शहरी निकायों का औसत है जबकि नगर निगमों और नगरपालिका परिषदों में आपस में बहुत अंतर है।

तालिका संख्या 13.2

जल आपूर्ति सेवा स्तर : 2012

प्रमाणक	बेंचमार्क	इकाई	वर्तमान स्तर	कमी
प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	135	लीटर	70.9	29.1
मीटरिंग	100	प्रतिशत	0.7	99.3
गैर राजस्व जल	20	प्रतिशत	50.8	49.2

आपूर्ति के घण्टे	24ग7	घंटे	3.00	21.0
गुणवत्ता	100	प्रतिशत	84.9	15.1
लागत वसूली	100	प्रतिशत	50.3	49.7
संग्रह सक्षमता	100	प्रतिशत	59.6	41.4

स्त्रोत :– छत्तीसगढ़ शासन की सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना

13.5 सेवा स्तर बेंचमार्क के अनुसार राज्य में दूषित जल निकासी व्यवस्था का फैलाव नगण्य है। इस प्रकार राज्य के पांच नगर निगम क्षेत्रों में इसका विस्तार 7.5% और दो नगर पालिकाओं में 13.8% है। राज्य में इसका औसत केवल 9.3% है। अलग–अलग शहरों में इसका फैलाव अलग–अलग है। गन्दे पानी का न तो यहां परिशोधन होता और न ही इसका दुबारा उपयोग किया जाता है। लागत वसूली भी बहुत कम 1.4% है। तालिका संख्या 13.3 में बेंचमार्क की तुलना में विभिन्न प्रमापकों में जल मल निकासी की वर्तमान् स्थिति दिखाई गई है :–

तालिका संख्या 13.3

जल मल निकासी की स्थिति : 2012

प्रमापक	बेंचमार्क	इकाई	वर्तमान स्तर	कमी
नेटवर्क का फैलाव	100	प्रतिशत	9.3	90.7
दूषित जलसंग्रहण क्षमता	100	प्रतिशत	0.0	100.00
परिशोधन की पर्याप्तता	100	प्रतिशत	0.0	100.00
गुणवत्ता	100	प्रतिशत	0.0	100.00
पुनः उपयोग	20	प्रतिशत	0.0	100.00
रि ड्रेसल	80	प्रतिशत	73.9	26.1
लागत–प्राप्ति	100	प्रतिशत	1.4	98.6

स्त्रोत :– सेवा स्तर बेंचमार्क पर छ.ग. शासन की अधिसूचना

शौचालय

13.6 जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से घरों में शौचालयों का होना एक बुनियादी जरूरत है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में 60.2% गृह स्वामियों के आवास परिसर में शौचालय हैं तथा 5.4% सार्वजनिक अथवा सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में बताया गया है कि शेष 34.4% जनसंख्या खुले मैदान में शौच करती है। राष्ट्रीय स्तर पर 81% लोगों के घरों में शौचालय हैं। छत्तीसगढ़ के जिन 60. 2% घरों में शौचालय है, उनमें से लगभग 59% मकानों में मानव मल के निपटान के लिये सुरक्षित व्यवस्था हैं, अर्थात् शौचालय या तो सिवरेज सिस्टम अथवा सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं। शेष मकानों में मल निपटान की सुरक्षित एवं स्वस्थ व्यवस्था नहीं है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक है। सुरक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से मानव मल के निपटान विषयक ये आंकड़े भी राष्ट्रीय औसत आंकड़ों (72%) से तुलनात्मक दृष्टि से बहुत पीछे है। शहरी जनसंख्या के जिस 35% भाग के आवास परिसर में शौचालय हैं, उनमें से 9.1% शौचालय सीवरेज सिस्टम से जुड़े हैं।

सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना के अनुसार शौचालयों की संख्या 74.8% घरों में है। 82% नगर निगम क्षेत्र और 72.7% नगर पालिका क्षेत्र में। जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार 60.2% जनसंख्या के घरों में शौचालय हैं तथा 5.4% जनसंख्या सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करती है। दोनों को जोड़ने से यह आंकड़ा लगभग 65% हो जाता है जबकि सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना के अनुसार यह आंकड़ा लगभग 75% है। संभव है नगर पंचायत क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या अधिक हो, जो उक्त अधिसूचना में शामिल नहीं हैं।

नालियां

13.8 वर्ष 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में केवल 17.5% घरों में ढंकी हुई पक्की नालियां हैं। 51.4% मकान खुली नालियों से जुड़े हैं तथा शेष 31% मकानो से निकला हुआ गन्दा पानी गलियों अथवा खुले मैदानों में बहा दिया जाता है। सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना के अनुसार शहरों के लगभग 55% मकानों में बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था है। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 58% तथा नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 58% मकानों में यह व्यवस्था है। जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार ढंकी हुई और खुली नालियों का 69% है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

13.9 ठोस अपशिष्ट का प्रभावपूर्ण तरीके से प्रबन्धन अर्थात् संग्रहण, पृथक्कीकरण, परिवहन और निपटान स्थानीय निकाय का एक महत्वपूर्ण कृत्य है और इस पर नगरपालिकायें काफी धन व्यय करती हैं परन्तु यह काम संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है। सेवा स्तर बेंच मार्क अधिसूचना के अनुसार घर–घर जाकर कचरा इक्ट्ठा करने का काम केवल 15.1% है। अन्य प्रमापकों पर भी स्थानीय निकायों का कार्य निष्पादन कोई विशेष अच्छा नहीं है, जैसा कि ***तालिका संख्या 13.4*** से स्पष्ट है। इस तालिका से पता चलता है कि कचरा उठाने का काम 86% तक बहुत अच्छा है परन्तु न तो व्यावहारिक रूप से इसका पृथक्कीकरण होता है और न वैज्ञानिक ढंग से निपटान होता है। इस काम की लागत की वसूली एक तिहाई से भी कम है। सभी प्रमापकों पर अलग–अलग निकायों का निष्पादन भिन्न–भिन्न हैं।

तालिका संख्या 13.4

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : 2012

प्रमापक	बेंचमार्क	इकाई	वर्तमान स्तर	कमी
घर–घर जाकर संग्रहण	100	प्रतिशत	15.1	84.9
कचरे का उठाव	100	प्रतिशत	86.1	14.9
पृथक्कीकरण दक्षता	100	प्रतिशत	0.2	99.8
पुनः प्राप्त एम.डब्ल्यू.एस. की मात्रा	80	प्रतिशत	0.4	99.6
वैज्ञानिक ढंग से निपटान	100	प्रतिशत	0.0	100.00
लागत–वसूली	100	प्रतिशत	30.8	69.2

स्त्रोत :– सेवा बेंचमार्क विषयक छ.ग. सरकार की अधिसूचना

सरकार द्वारा निर्धारित बेंच मार्क के मुकाबिले में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों का कार्य निष्पादन बहुत ही कमजोर और कई मामलों में शून्य है। यह चिंता का विषय है तथा तत्काल हस्तक्षेप किये जाने की जरूरत है।

सड़क और स्ट्रीट लाइट

13.10 सड़क और स्ट्रीट लाइट संबंधी विवरण नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों द्वारा तैयार किये गये मसौदा नगर विकास योजनाओं से लिये गये हैं। इस विवरण के अनुसार 9 नगर निगम क्षेत्रों में नगरपालिका, राज्य सरकार के राजपथ और राष्ट्रीय राज्य मार्गों की कुल मिलाकर 4,218 कि.मी. लंबी सड़कें हैं। इनमें से 3208 किलोमीटर अर्थात् 80.6% सड़के पक्की हैं। शेष 19.4% कच्ची हैं अथवा डब्लू.बी.एम. सड़कें हैं जिन्हें क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता है। इस तरह नगर निगम क्षेत्र में 80.7% और 25 नगरपालिका क्षेत्रों में 80.6% सड़के पक्की हैं। इन दोनों ही शहरी स्थानीय निकायों में 1114 कि.मी. सड़कों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि **तालिका संख्या 13.5** से स्पष्ट है। नगर पंचायतों की सड़कों के बारें में विवरण उपलब्ध नहीं है।

तालिका संख्या 13.5

सड़कों की स्थिति

क्रं.	शहरी निकाय का वर्ग	सड़कों की कुल लंबाई	पक्की सड़कें				कच्ची सड़के	पक्की सड़कों की कमी
			नगर पालिका पथ	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य के राजमार्ग	कुल		
1	नगरनिगम	4218.02	3208.74	49.7	145.79	3404.23	813.79	813.79
2	न. पा. परिषद्	1709.38	1186.08	65.2	127.48	1378.76	330.62	330.62
	योग	5927 .4	4394.82	114.9	273.27	4782.99	1144.41	1144.41

सूत्र :– नगर निगमों और न.पा.परिषदों के मसौदे नगर विकास योजनाओं से संग्रहीत

13.11 प्रति किलोमीटर 33 स्ट्रीट लाइट के प्रतिमान से 1,95,610 स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है लेकिन अभी यहां केवल 1,26,952 स्ट्रीट लाइट हैं अर्थात् 35% से अधिक स्ट्रीट लाइट की कमी है जैसा कि **तालिका संख्या 13.6** से देखा जा सकता है। यदि संसाधन सम्पन्नता की दृष्टि से बेहतर स्थिति वाले नगर निगमों और नगरपालिकाओं में अधोसंरचना के अभाव का प्रतिशत इतना ऊंचा है तो नगर पंचायतों में इसके अभाव का प्रतिशत तो और भी अधिक होगा।

तालिका संख्या 13.6

स्ट्रीट लाइट की स्थिति

क्रं.	स्थानीय निकाय	सड़कों की लंबाई (कि. मी.)	स्ट्रीट लाइट की आवश्यक संख्या	स्ट्रीट लाइट की वर्तमान संख्या	कमी
1	नगर निगम	4218.02	1,39,201	95,360	43,841
2	नगर पालिका	1709.38	56,409	31,592	24,817
	कुल	5927.4	1,95,610	1,26,952	68,658

स्त्रोत :– नगर निगमों और नगर पालिकाओं की मसौदा नगर विकास योजनायें : 2012

रायपुर नगर निगम में अधोसंरचना

13.12 छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी तथा इस राज्य में दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाला एक मात्र नगर होने के कारण राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से रायपुर का एक विशिष्ट महत्व है। छत्तीसगढ़ के शहरी निकायों में अधोसंरचना की विषमता का जायजा लेने के लिये राज्य सरकार की एक अधिसूचना को आधार बनाकर वर्ष 2010–11 के राज्य की औसतमान तथा देश के अन्य राज्यों की राजधानियों की स्थिति के साथ कुछ प्रमापकों के साथ रायपुर की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

13.13 वर्ष 2010–11 में रायपुर नगर निगम में केवल 31% जल आपूर्ति कनेक्शन थे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस महानगर की दस लाख से अधिक जनसंख्या के एक तिहाई से भी कम व्यक्तियों को अपने आवास परिसरों में पेय जल व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध थी। पेय जल व्यवस्था की यह स्थिति वर्ष 2010–11 में राज्य के औसत मान से अधिक तथा अन्य राज्यों की राजधानियों से आधे से भी कम है। अन्य प्रमापकों में सेवा प्रदाय की स्थिति **तालिका संख्या 13.7** में देखी जा सकती है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि नागरिक सुविधा सेवा प्रदाय के क्षेत्र में अन्य राज्यों की राजधानियों के समकक्ष पहुंचने के लिये अभी रायपुर को लंबा सफर तय करना है। जल मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा बरसाती पानी निकासी जैसे अनिवार्य सेवा क्षेत्रों में स्थिति बहुत दयनीय हैं।

तालिका संख्या 13.7

चुनिंदा प्रमापकों में रायपुर नगर निगम में अधोसंरचना की स्थिति

प्रमापक	बेंच मार्क	रायपुर	राज्य	अन्य राजधानियां
जल आपूर्ति				
नल कनेक्शन	100%	26	25	59.7
प्रति व्यक्ति आपूर्ति	135 लीटर	57	45	109.4
नल कनेक्शन की मीटरिंग	100%	0.0	1	34.3
एन. आर. डब्लू	20%	61	65	40.9
आपूर्ति की निरंतरता	24 घंटे	03	03	4.4
लागत वसूली	100%	41	25	54.7
संग्रहण क्षमता	90%	38	42	70.00
सीवरेज				
शौचालय	100%	71	69	81.6
सीवरेज नेटवर्क का विस्तार	100%	02	02	37.3
पुनः उपयोग	20%	00	00	21.3
संग्रहण क्षमता	90%	00	00	32.3
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन				
घर घर से संग्रहण	100%	19	7	49.7
संग्रहण क्षमता	100%	81	76	80.6
पृथक्कीकरण	100%	00	00	13.5
एम.एस.डब्लू की पुनः प्राप्ति की मात्रा	80%	00	00	17.9
वैज्ञानिक ढंग से निपटान	100%	00	00	14.0
लागत वसूली	100%	0.2	14	18.7
संग्रहण क्षमता	90%	66	31	50.6
बरसाती पानी नाली				
विस्तार	100%	06	25	37.0

स्त्रोत :– छत्तीसगढ़ सरकार तथा अन्य राज्य का सेवा स्तर बेंचमार्क विषयक अधिसूचना

13.14 राज्य के विभिन्न नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों में अधोसंरचना की वर्तमान स्थिति को भलीभांति समझने के लिये इन्हे 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' समूहों में बांटा गया है। 'क' का अर्थ है बेहतर स्थिति जबकि 'घ' का अर्थ है दयनीय स्थिति जिस पर शीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ''ख'' और ''ग'' मध्यवर्ती स्थिति के सूचक हैं जिनके उन्नयन की आवश्यकता है। इस वर्गीकरण की कसौटी या पैमानों का विवरण **परिशिष्ट 13.1** में तथा प्रत्येक समूह के अंतर्गत आने वाले निकायों की संख्या **परिशिष्ट 13.2** में बताई गई है। नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के कार्य विश्लेषण से जो चित्र उभरता है, वह निम्नानुसार है :–

(1) जल आपूर्ति व्यवस्था के विस्तार में कोई भी शहरी निकाय समूह 'क' में नहीं हैं। 03 नगर निगम और 15 न.पा.परिषदें ''घ'' समूह में है।

(2) शौचालय सुविधा के विस्तार की स्थिति कुछ बेहतर मानी जा सकती है। क्योंकि कोई भी शहरी निकाय समूह ''घ'' के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि 9 नगर निगमों और 19 नगरपालिका परिषदों में से अधिकांश समूह 'ख' में तथा 1 नगर निगम समूह ''क'' में हैं।

(3) राज्य के अधिकांश शहरी निकायों में भूमिगत सिवरेज प्रणाली नहीं है अतः समूह ''घ'' के अंतर्गत हैं।

(4) घर–घर जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के मामले में 1 नगर निगम समूह 'क' में, 9 समूह 'ख' में तथा 19 समूह 'ग' तथा 13 समूह 'घ' में हैं। इससे इस सेवा क्षेत्र में बहुत अन्तराल का पता चलता है।

(5) बरसाती पानी निकासी के मामले में कोई भी शहरी निकाय वर्ग ''क'' में नहीं है। 2 नगर निगम और 2 नगर पालिका परिषद वर्ग 'ख' में तथा 6 नगर निगम तथा 15 नगर पालिकायें 'घ' वर्ग में है। इससे इस सेवा क्षेत्र में बहुत अधिक कमी स्पष्ट है।

अधिसंख्यक नगर निगम तथा नगर पालिका परिषदें अन्य सेवा प्रमापकों में समूह 'ग' और 'घ' के अन्तर्गत शामिल हैं। इससे अधोसंरचना की कमी तथा सेवा प्रदाय की दयनीय स्थिति स्पष्टतः प्रकट है और यह चिन्ता का विषय है।

शहरी अधोसंरचना में निवेश

13.15 उपर्युक्त विश्लेषण से मुख्य क्षेत्रों में अधोसंरचना की निम्न स्तरीयता प्रकट होती है। उच्चाधिकार प्राप्त प्राक्कलन समिति ने वर्ष 2012 से 2031 की बीस वर्षीय अवधि के दौरान विभिन्न आकार वाले विभिन्न वर्गों के नगरों की अधोसंरचनात्मक भावी आवश्यकता को पूरा करने के निमित्त विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आकलन करने के लिये प्रति व्यक्ति लागत प्रतिमान निर्धारित किया था। यह प्रतिमान **परिशिष्ट 13.3** में प्रस्तुत हैं। यह प्रति व्यक्ति लागत अनुमान अगले बीस वर्षों के दौरान जनसंख्या में सम्भावित वृद्धि, वर्तमान् जनसंख्या के लिये अधोसंरचना की कमी तथा आलोच्य अवधि के दौरान मौजूदा अधोसंरचनाओं के आवश्यक बदलाव/प्रति स्थापन की लागत आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इस समिति ने प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अधोसंरचना का प्रावधान करने के लिये आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा है और तद्नुसार प्रतिमान निर्धारित किया है। मसलन जल आपूर्ति व्यवस्था के क्षेत्र में जल उत्पादन, जल के भण्डारण, मीटरिंग तथा जल आपूर्ति नेट वर्क के प्रसार के साथ ही साथ नगरों/शहरों में सतत जल पूर्ति प्रारम्भ करने के लिये जल वितरण प्रणाली के क्रमोन्नयन आदि को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी प्रति व्यक्ति लागत निर्धारण के लिये तत्सम्बन्धी अवधारणाओं को ध्यान में रखा गया है। राज्य में आकार और जनसंख्या के आधार पर विभिन्न वर्गों के नगरों की संख्या आदि का विवरण **तालिका संख्या 13.8** में दिया गया है –

तालिका संख्या 13.8

नगरों का आकार वर्गीकरण और जनसंख्या

नगर का आकार वर्ग	जनसंख्या की सीमा	जनसंख्या	नगर संख्या
वर्ग 1 'ए'	50 लाख से अधिक	–	–
वर्ग 1 'बी'	10 लाख से 50 लाख तक	10,10,087	1
वर्ग 1 'सी'	1 लाख से 10 लाख तक	21,27,831	8
वर्ग 2	50 हजार से 1 लाख तक	3,85,076	5
वर्ग 3	20 हजार से 50 हजार तक	8,11,431	29
वर्ग 4, 5 और 6	20 हजार से कम	14,47,299	126
	योग	**57,81,724**	**169**

13.16 उच्चाधिकार प्राप्त प्राक्लन समिति के प्रतिमानों के आधार पर जल आपूर्ति, सिवरेज, बरसाती पानी निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क तथा स्ट्रीट लाईट के कोर सेक्टर में अधोसंरचना की स्थापना के लिये रु. 23,160.04 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। इसका मदवार विवरण **तालिका संख्या 13.9** में दिया गया है। इस निवेश में शौचालयों का प्रावधान शामिल नहीं है। शौचालयों के प्रावधान के लिये निवेश आवश्यकता की गणना करने के लिये आयोग ने रु. 10,000 प्रति यूनिट लागत निर्धारित किया है। वर्ष 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार 4,26,637 परिवारों को शौचालय की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये 426 करोड़ 63 लाख के निवेश की आवश्यकता होगी। इस तरह राज्य में सभी छै कोर क्षेत्रों में कुल मिला कर रु. 23,587 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। इसी प्रकार परिचालन और अनुरक्षण पर रु. 776 करोड़ की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी ।

तालिका संख्या 13.9

आवश्यक निवेश (करोड़ रू. में)

वर्ग अनुसार		1बी	1सी	2	3	4	योग
जल आपूर्ति	पूंजीगत	443.93	1260.53	190.88	478.83	854.05	3328.22
	परिचालन/अनुरक्षण	61.92	104.48	18.91	29.86	35.46	250.62
सीवरेज	पूंजीगत	387.97	725.8	204.71	458.38	962.16	2739.03
	परिचालन/अनुरक्षण	37.68	61.71	11.17	16.8	20.99	148.33
बरसाती पानी निकासी	पूंजीगत	418.18	1101.15	80.87	227.2	405.24	2232.64
	परिचालन/अनुरक्षण	6.26	16.6	1.23	3.41	6.08	33.58
सड़क	पूंजीगत	2369.66	6239.86	646.93	1817.61	3241.95	14316.01
	परिचालन/अनुरक्षण	42.52	112.14	10.63	29.86	53.26	248.41
सड़क बत्ती	पूंजीगत	162.22	267.68	7.97	8.68	15.49	462.04
	परिचालन/अनुरक्षण	5.56	11.49	0.15	0.24	0.43	17.88
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	पूंजीगत	39.7	87.24	9.09	16.55	29.52	182.1
	परिचालन/अनुरक्षण	19.09	28.73	4.35	9.17	16.35	77.69
योग	पूंजीगत	3821.66	9682.26	1140.45	3007.25	5508.41	23160.04
	परिचालन/अनुरक्षण	173.03	335.15	46.44	89.34	132.57	776.51

नोटः– प्राक्कलन समिति के प्रतिमानों के आधार पर संगणित

निवेश की चरण बद्धता

13.17 उपर्युक्त निवेश प्रक्षेपण वर्ष 2009–10 के मूल्यों पर आगामी 20 वर्षो अर्थात् 12वीं से 15 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये है। उच्चाधिकार प्राप्त प्राक्कलन समिति का सुझाव है कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 15% की दर से, 13 वीं पंचवर्षीय योजना में 12% की दर से तथा 14वीं और 15वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 8% की दर से वृद्धि की जाये। समिति द्वारा प्रारम्भ में अधिक तथा बाद में कम दर पर वृद्धि का सुझाव दिये जाने का कारण यह है कि 13 वीं से 15 वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जैसा–जैसा पूंजी निवेश होगा, परिचालन और अनुरक्षण मद में भी तदनुसार वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। अतः 13 वीं से 15 वीं योजना के दौरान क्रमशः पूंजीगत निवेश कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

13.18 वर्ष 2012–13 से वर्ष 2031–32 के दौरान निवेश की आवश्यकताओं का विवरण **परिशिष्ट 13.4** में दिया गया है। राज्य के द्वितीय वित्त आयोग के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज के समान ही वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है, किन्तु इससे आवश्यक निवेश की पूर्ति नहीं होगी। इसलिये पूंजीगत निवेश के लिये उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 15% वृद्धि दर के आधार पर पूर्वानुमान लगाये गये हैं। तदनुसार तेरहवीं योजना में 12% की दर से और 14 वीं और 15 वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 8% की दर से चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव हैं। इन पूर्वानुमानों के हिसाब से उक्त समिति के प्रतिमानों के अनुरूप अधोसंरचना जुटाने के लिये रु. 35,006.43 करोड़ के पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होगी। समिति ने परिचालन और अनुरक्षण मद में किसी प्रत्याशित वृद्धि का स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। समिति ने इस सम्बन्ध में एक आंकड़ा मात्र बताया है। अतएव आयोग ने वर्ष 2012–13 से वर्ष 2031–32 की मध्यवर्ती बीस वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य पर 8.8% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। इस दर पर व्यय लगभग रु. 50514.50 करोड़ अनुमानित है। चूंकि ये अनुमानित आंकड़े वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर आधारित हैं, अतएव इन आंकड़ों का चालू मूल्य दर पर अनुमान लगाने के लिये कुछ समायोजन आवश्यक हैं। एतदनुसार चालू भाव पर आंकलन करने के लिये 8% की वार्षिक स्फीति दर मानी गई है। इस हिसाब से पूंजीगत व्यय के लिये रु. 37,806.94 करोड़ तथा परिचालन और अनुरक्षण पर रु. 16,748.71 करोड़ इस तरह कुल मिलाकर रु. 54,555.65 करोड़ की आवश्यकता होगी।

◆◆◆